principal personal liability towards the parties methods of termination of agency

Unit-V Partnership definition, essential and nature; distinction advantages and disadvantages vis a vis Partnership and private limited company; mutual relationship between partners; authority of Partners; admission of Partners; outgoing of partners; registration of partnership and dissolution of partnership

Scanned with CamScanner

Unit V

भारतीय भागीदारी अधि० 1932

भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 में कुल 8 अध्याय, 74 धाराये तथा 2 अनुसूचि यह अधि० 1 अक्टूबर 1932 को लागू हुआ है। परन्तु केवल धारा 69 के उपबन्धो को 1 अक्टूबर 1933 से लागू किया गया।

धारा 2 परिभाषाए -

धारा 2(क) फर्म का कार्य से फर्म के सब भागीदारो या किसी भागीदार या किसी अभिकर्ता का कोई भी कार्य या लोप अभिप्रेत है जिससे फर्म के द्वारा या विरुद्ध प्रवर्तनीय कोई अधिकार उदभूत होता हो;

(ख) "कारबार" के अन्तर्गत हर व्यापार, उपजीविका और वृत्ति आती है;

(ग) "विहित" से इस अधिनिम के अधीन नियमो द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(घ) "पर व्यक्ति" पद से जब वह किसी फर्म या उसके किसी भागीदार के सम्बन्ध में प्रयुक्त किया गया है ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो फर्म में भागीदार नही है

Scanned with CamScanner

* भागीदारी की प्रकृति :-

धारा 4. "भागीदारी", "भागीदार", "फर्म" और "फर्म" नाम की परिभाषा - भागीदारी उन व्यक्तियो के बीच का सम्बन्ध है जिन्होने किसी ऐसे कारबार के लाभो मे अंश पाने का करार कर लिया है जो उन सबके द्वारा या उनमें से ऐसे किन्ही या किसी के द्वारा जो उन सब की ओर से कार्य कर रहा है, चलाया जाता है।
वे व्यक्ति जिन्होने एक दूसरे से भागीदारी कर ली है, व्यक्तिगत 'भागीदार' और सामूहिक रूप से 'फर्म' कहलाते हैं और जिस नाम से उनका कारबार चलाया जाता है, वह 'फर्म' नाम कहलाता है।

* धारा 5. भागीदारी प्रास्थिति से सृष्ट नही होती - भागीदारी सम्बन्ध संविदा से उद्भूत होता है, प्रास्थिति से नही, अभिव्यक्ति हिन्दू कुटुम्ब का उद्भव प्रास्थिति से होता है इसलिए वह भागीदारी फर्म से भिन्न है। दो अविभक्त हिन्दू कुटुम्ब मिलकर एक फर्म का सृजन नही कर सकते है। परन्तु इन दोनो कुटुम्बो के कर्ता अपने परिवार की ओर से फर्म में भागीदार बन सकते हैं।

* धारा 6. भागीदारी के अस्तित्व का अवधारण करने के लिये पक्षकारों के वास्तविक सम्बन्धों को ध्यान मे रखा जाना आवश्यक है।

स्पष्टीकरण 2 अंश या संदाय प्राप्त करने मात्र से निरत व्यक्ति भागीदार नही माना जायेगा

(i) ऐसे व्यक्तियों को धन उधार देने वाले द्वारा जो किसी कारोबार में लगे हुये या लगने ही वाले हों,
(ii) किसी सेवक या अभिकर्ता द्वारा पारिश्रमिक के रूप में
(iii) किसी मृत भागीदार की विधवा या अपत्य द्वारा वार्षिकी के रूप में, अथवा
(iv) कारबार के किसी पूर्वतन स्वामी या भागिक स्वामी द्वारा उस कारबार के गुडविल या अंश के विक्रय के प्रतिफलस्वरूप,
ऐसे अंश या लाभ को प्राप्ति पाने वाले को उस कारबार को चलाने वाले व्यक्तियों का स्वयंमेव भागीदार नहीं बना देती।

* धारा 7 इच्छाधीन भागीदारी जहां की भागीदारों के बीच की संविदा द्वारा उनकी भागीदारी की अस्तित्वधि के लिए या उनकी भागीदारी के पर्यवसान के लिए कोई उपबन्ध नहीं किया गया है, वहां वह भागीदारी "इच्छाधीन भागीदारी" है।

धारा 8 विशिष्ट भागीदारी- कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का विशिष्ट प्रोद्यमों अथवा उपक्रमों में भागीदार बन सकेगा।

* भागीदारी या साझेदारी के आवश्यक तत्व:-
करार (Agreement) भागीदारी के लिए दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच भागीदारी का करार होना चाहिये। परन्तु यह आवश्यक नहीं है कि करार लिखित अथवा मौखिक अभिव्यक्ति हो। यह आचरण द्वारा भी स्थापित हो सकता है। भागीदारी के लिए स्वैच्छिक

Scanned with CamScanner

प्रकृति का करार होना चाहिए। यदि करार स्वेच्छा से नही किया जाता है तो यह भागीदारी का रूप नही धारण कर सकता है।

2. कारोबार (Business) इस पद की परिभाषा भागीदारी अधि० की धारा 2(ख) मे दी गयी है।

"कारोबार" से तात्पर्य प्रत्येक व्यापार, पेशा व वृत्ति से है। प्रत्येक ऐसा कार्य जिसको करने में समय धन व परिश्रम जुटाना पड़े और लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से किया जाय "कारोबार" कहलायेगा।

विश्वनाथ ब० नमकचन्द A.I.R 1955 के मुकदमें में जस्टिस वेंकट रमण ने निर्णय देते हुए स्पष्ट किया है कि "साझेदारी वहाँ हो सकती है जहाँ कोई व्यापार किया जाता है। जहाँ करने के लिए कोई व्यापार हीन हो, वहाँ साझेदारी का प्रश्न ही नही उठता।"

भागीदारी के लिए कारोबार आवश्यक होता है कारोबार के लाभ में से अंश पाने के लिए भागीदार भागीदारी का सम्बन्ध स्थापित करते हैं।

3. लाभांश प्राप्त करना - यह भागिता की एक परमावश्यक अपेक्षित वस्तु की भागीदारी द्वारा लाभों में अंश प्राप्त किया जाना चाहिये। कॉक्स ब० हिकमैन (1860) के वाद मे कहा गया कि मात्र लाभों में भाग लेना या प्राप्त करने के अधिकार से ही किसी व्यक्ति को फर्म में भागीदार नही माना जा सकता है।

4. पारस्परिक एजेन्सी:- भागीदारी के अस्तित्व मे लाने के लिए उपर्युक्त तत्वो के अतिरिक्त एजेन्सी का तत्व आवश्यक है। कारोबार के लिए साधारण प्रयोजन के लिए प्रत्येक भागीदार अन्य सह-भागीदारो का एजेन्ट (अभिकर्ता) होता है। यदि दो या दो से अधिक व्यक्ति करार करते है कि वे कारोबार करेंगे तथा लाभों के अंश प्राप्त करेंगे तो प्रत्येक मालिक होता है तथा प्रत्येक दूसरे का एजेन्ट होता है तथा अन्य द्वारा कारोबार चलाने हेतु की गई संविदाओ से उसी भाँति बाध्य होता जैसे एक मालिक किसी एजेन्ट के कृत्य से होता है जो पूर्ण लाभ अपने मालिक को देता है

भागीदार तथा कम्पनी मे अन्तर

भागीदार (Partnership)	कम्पनी (Company)
1. भागीदारी या फर्म विधिक व्यक्ति नही है	1. जबकि कम्पनी विधिक व्यक्ति की (Legal person) की परिभाषा मे आती है
2. भागीदारी मे करार की आवश्यकता होती है।	2. कम्पनी के लिए करार के अलावा अन्य औपचारिकताओं की आवश्यकता है।
3. भागीदार अपने अंश का अन्तरण स्वतन्त्रतापूर्वक नही कर सकता है।	(3) कम्पनी के अंशो का अन्तरण स्वतन्त्रतापूर्वक हो सकता है।
4. कोई भागीदार अपनी फर्म से संविदा नही कर सकता	(4) कम्पनी का कोई अंशधारी कम्पनी से संविदा कर सकता है।
5. किसी भागीदार की मृत्यु पर भागीदार का अंजन हो जाता है	(5) कम्पनी चलती रहती है।
6. किसी व्यापारिक सदस्यों की संख्या 20 तक हो सकती है।	(6) सदस्यों की संख्या कितनी भी हो सकती है
7. फर्म के लिये अन्त नियम तथा सीमा नियम होना आवश्यक नही है।	(7) जबकि कम्पनी के लिए इन दोनो का होना अति आवश्यक है।

Scanned with CamScanner

Page No ____
Date ____

* अन्दर आने वाले और बाहर जाने वाले भागीदार धारा 31 से 38 तक

* धारा 31 भागीदार का प्रविष्ट किया जाना

(1) भागीदारों के बीच की संविदा और धारा 30 के उपबन्धों के अध्यधीन यह है कि कोई भी व्यक्ति सब वर्तमान भागीदारों की सम्मति के बिना फर्म में भागीदार के तौर पर प्रविष्ट नहीं किया जाएगा।

(2) धारा 30 के उपबन्धों के अध्यधीन यह है कि जो व्यक्ति फर्म में भागीदार के तौर पर प्रविष्ट किया गया है तद्द्वारा वह उसके भागीदार होने से पूर्व किए गए किसी भी फर्म के कार्य के लिए दायी नहीं होता।

* धारा 32. भागीदार का निवृत्त होना - (1)(क) भागीदार -

अन्य सब भागीदारों की सम्मति से निवृत्ति ले सकता है या अवकाश ग्रहण कर सकता है

धारा 32(1)(ख) भागीदारों के अभिव्यक्त करार से - चूंकि भागीदारी संविदा से उद्भूत होती है अत: भागीदार के पारस्परिक करार द्वारा भागीदार फर्म से निवृत्त ले सकता है। परन्तु यह आवश्यक है कि ऐसा करार अभिव्यक्त होना चाहिए।

धारा 32(1)(ग) जहां कि भागीदारी इच्छाधीन है वहाँ अन्य सब भागीदारों को अपने निवृत्त होने के आशय की लिखित सूचना द्वारा भागीदार निवृत्त हो सकेगा। सूचना अवश्य लिखित रूप में होनी चाहिये।

धारा 33. भागीदार का निष्कासन -

धारा 33 (1) के प्रावधानों के अनुसार भागीदारों के बीच संविदा द्वारा प्रदत्त शक्तियों के सद्भावपूर्वक, प्रयोग में के सिवाय भागीदार फर्म में से भागीदारों की किसी भी बहुसंख्या द्वारा निष्कासित नही किया जा सकेगा। परन्तु इसके लिए दो शर्तें आवश्यक हैं -

1. ऐसी शक्ति भागीदारों के बीच संविदा द्वारा प्रदत्त की गई हो।
2. ऐसी शक्ति का प्रयोग सद्भावपूर्वक मे किया गया हो।

धारा 34. भागीदार के दिवालिया होने पर

जहाँ कोई भागीदार दिवालिया न्यायनिर्णीत कर दिया जाता है वहाँ इस तारीख से वह भागीदार नही रहता है चाहे फर्म विघटित हो या न हो। भागीदार दिवालिया होते ही फर्म से अलग हो जाता है।

धारा 35. मृत भागीदार की सम्पदा का दायित्व -

जहां कि किसी भागीदार की मृत्यु द्वारा भागीदारों के बीच की संविदा के अधीन फर्म विघटित नही होती, वहां मृत भागीदार की सम्पदा फर्म के किसी ऐसे कार्य के लिए, जो उसकी मृत्यु के पश्चात किया गया हो दायी नही है।

धारा 36 बाहर जानेवाले भागीदार को प्रतियोगी कारबार चलाने का अधिकार - व्यापार अवरोधी करार

धारा 37 कुछ दशाओं में बाहर जानेवाले भागीदार का पश्चावर्ती लाभों मे अंश पाने का अधिकार

धारा 38 चलत प्रत्याभूति का फर्म मे तब्दीली होने से प्रतिसंहरण

Scanned with CamScanner

Page No. ______
Date ______

✱ फर्म का विघटन (Dissolution of Firm)

धारा 39 से 55 तक

विघटन क्या है (धारा 39) - जब भागीदार फर्म कारबार करना बन्द कर देती है और फर्म के भागीदारो के बीच भागीदारी के सभी प्रकार के सम्बन्ध समाप्त हो जाते है तो इसे फर्म का विघटन कहा जाता है। अधिनियम की धारा 39 के विघटन को निम्न प्रकार परिभाषित करती है -

धारा 39 "फर्म के सब भागीदारो के बीच भागीदारी का विघटन फर्म का विघटन कहलाता है। अतः फर्म से निवृत लेने वाले भागीदार (Retiring Partner) और फर्म के विघटन मे काफी अन्तर होता है क्योकि किसी भागीदार के फर्म से (Retire) होने पर शेष भागीदार भागीदारी फर्म को चलाते रहते है परन्तु फर्म के विघटन के बाद फर्म को किसी भी कीमत पर नही लाया जा सकता। फर्म को पुनर्गठित भी कर दिया जाय तो भी यह विघटन ही कहा जाता है।

विघटन के तरीके - (धारा 40 से 44 तक) निम्नलिखित तरीको से कोई फर्म विघटित की जा सकती है -

(क) करार द्वारा विघटन (धारा 40)
(ख) अनिवार्य विघटन (धारा 41)
(ग) आकस्मिक विघटन (धारा 42)
(ड.) न्यायालय द्वारा विघटन (धारा 44)

Scanned with CamScanner

Page No.
Date

* करार द्वारा विघटन (धारा 40)

भागीदारी का जन्म ही करार द्वारा होता है इसलिए फर्म का विघटन भी करार द्वारा हो सकता है ऐसा करार -(1) भागीदारी विलेख में किया जा सकता है; या (2) बाद में भी किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त सभी भागीदार जब चाहे फर्म का विघटन कर सकते है। अर्थात फर्म के सभी भागीदारों की सहमति से फर्म का विघटन हो सकता है। उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णीत अब्दुल खालिक vs अब्दुल गफ्फार AIR 1985 SC 608 के वाद में यह अभिनिर्धारित किया गया कि यदि फर्म के सभी भागीदारों की सहमति से किसी भागीदार ने फर्म को छोड़ दिया है तो इसका अर्थ यह है कि फर्म का विघटन हो गया है क्योंकि सभी भागीदारों की सहमति से ~~किसी भागीदार ने फर्म~~ कभी भी फर्म का विघटन किया जा सकता है इसके लिए यह भी आवश्यक नहीं है कि फर्म का गठन निश्चित अवधि के लिए हुआ हो।

* अनिवार्य विघटन (धारा 41) निम्नलिखित परिस्थितियों में फर्म का अनिवार्य रूप से विघटन हो जाता है -

* भागीदारों के दिवालिया न्याय निर्णीत होने पर (धारा 41 क) जब किसी फर्म के या तो सभी भागीदार या एक भागीदार को छोड़कर दिवालिया हो जाते हैं फर्म विघटित हो जाती है। अतः जब किसी फर्म में केवल एक भागीदार को छोड़कर सभी

सभी दिवालिया हो जाते हैं भागीदारी इस लिए विघटित हो जाती है क्योंकि केवल एक भागीदार भागीदारी नहीं गठित करता अर्थात भागीदारी के लिए 2 भागीदारों का होना आवश्यक होता है।

* कारबार के विधि विरुद्ध हो जाने पर (धारा 41 ख) कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसी कोई घटना घट जाती है कि फर्म को भागीदारी में चलाना या फर्म जो कारबार कर रही है वह कारबार करना विधि विरुद्ध हो जाता है ऐसी परिस्थिति में फर्म अनिवार्य रूप से विघटित हो जाती है।

* धारा 42. किन्हीं आकस्मिकताओं के घटित होने पर विघटन - भागीदारों के बीच की संविदा के अध्यधीन यह है कि फर्म विघटित हो जाती है :- (क) यदि वह किसी नियत अवधि के लिए गठित की गई हो, तो उस अवधि के अवसान से, (ख) यदि वह एक अधिक प्रोद्यमों या उपक्रमों को चलाने के लिए गठित की गई हो तो उसके या उनके पूर्ण हो जाने से
(ग) किसी भागीदार की मृत्यु हो जाने से, और
(घ) किसी भागीदार के दिवालिया न्यायनिर्णीत किए जाने से।

* धारा 43. इच्छाधीन भागीदारी का सूचना द्वारा विघटन - (1) जहां कि भागीदारी इच्छाधीन है, वहां भागीदार द्वारा फर्म का विघटन अन्य सब भागीदारों को फर्म विघटित करने के अपने आशय की लिखित सूचना दिए जाने द्वारा किया जा सकेगा।

Scanned with CamScanner

(2) फर्म उस तारीख से, जो उस सूचना में विघटन की तारीख दी हुई या ; यदि कोई तारीख नहीं दी हुई है, तो उस तारीख से, उसको सूचना संसूचित की गई है, विघटित हो जाती है।

* धारा 44. न्यायालय द्वारा विघटन - किसी भागीदार के वाद पर न्यायालय निम्नलिखित में से किसी भी आधार पर फर्म को विघटित कर सकेगा
(1) (a) भागीदार के विकृतचित्त होने पर;
(2) किसी भागीदार के स्थायी रूप से असमर्थ होने पर; (3) किसी भागीदार के दुराचरण के आधार पर;
(4) किसी भागीदार द्वारा भागीदारी अनुबन्ध भंग करने के आधार पर;
(5) किसी भागीदार के हिस्से का हस्तान्तरण होने, कुर्की होने अथवा बिकने पर;
(6) हानिकारक कारोबार के आधार पर;
(7) भंजन उचित तथा न्यायपूर्ण होने के आधार पर

* धारा 45 विघटन के पश्चात किए गए भागीदारों के कार्यों के लिए दायित्व -
(1) फर्म का विघटन हो जाने पर भी, जब तक विघटन की लोक सूचना न दे दी जाए, भागीदार उनमें से किसी के द्वारा किए गए किसी ऐसे कार्य के लिए जो विघटन से पहले किया जाने पर फर्म का कार्य होता पर व्यक्ति के प्रति भागीदार बने रहेंगे; परन्तु जो भागीदार मर जाता है या दिवालिया न्यायनिर्णीत कर दिया जाता है या जो भागीदार उसका भागीदार होना फर्म के साथ व्यवहार करने वाले व्यक्ति को ज्ञात न होते हु

फर्म से निवृत हो जाता है, उसकी सम्पदा उसके भागीदार न रहने की तारीख के पश्चात किए गए कार्यों के लिए इस धारा के अधीन दायी न होगी, (2) उपधारा (1) के अधीन सूचनाए किसी भी भागीदार द्वारा दी जा सकेगी

(धारा 46 तथा 49) ऋणो का भुगतान -

फर्म का विघटन होने पर प्रत्येक भागीदार या उसके प्रतिनिधि को अधिकार है कि - (1) फर्म की सम्पति से ऋणो का भुगतान करवाये तथा (2) ऋणो के भुगतान के बाद बची हुई रकम को अपने हिस्से के अनुसार बाँट ले (धारा 46) परन्तु जहा तक फर्म द्वारा शोध्य संयुक्त ऋण है और किसी भागीदार द्वारा शोध्य ... है पृथक ऋण भी है वहा (1) फर्म की संपति से फर्म के ऋणो का भुगतान कर दिया जायेगा तथा (2) फर्म के ऋणो के भुगतान के बाद बची रकम हर भागीदार को उसके हिस्से के अनुसार दे दी जाएगी या उसके हिस्से की रकम से उसके पृथक ऋण का भुगतान कर दिया जायेगा

परन्तु भागीदार की पृथक सम्पति का उपयोग -

(i) पहले उसके पृथक ऋणो के

(ii) पृथक ऋणो के भुगतान के बाद बची रकम फर्म के ऋणो के भुगतान में प्रयोग की जाएगी

धारा 47 भागीदार का प्राधिकार बना रहना

धारा 48 लेखा निर्धारण का ढंग

वैयक्तिलाभ मे हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार धारा 50 यदि कोई विपरीत संविदा नही है तो फर्म के सभी भागीदार उस लाभ मे हिस्सा प्राप्त कर सकते है जो लाभ-
(i) भागीदार की मृत्यु के कारण फर्म का विघटन हो जाने के पश्चात ; और
(ii) उसके सब काम-काज का पूर्ण रूप से परिसमापन होने के पूर्व;
(iii) किसी जीवित भागीदार द्वारा; या
(iv) मृत भागीदार के उत्तराधिकारियों द्वारा फर्म के नाम पर कोई व्यापार करने पर प्राप्त हुआ है।
अपवाद- वहा फर्म के नाम के प्रयोग से प्राप्त लाभ को बाटने के लिए कोई भागीदार बाध्य नही होगा जहाँ भागीदार ने या उसके प्रतिनिधि ने फर्म की गुडविल खरीद लिया है।
कब प्रीमियम वापस नही माँग सकता (धारा 51)
निम्नलिखित परिस्थितियो मे प्रीमियम वापस नही होता है (i) अनिश्चित अवधि की भागीदारी
(ii) भागीदार के निधन के कारण फर्म का विघटन
(iii) नए भागीदार के दुराचरण के कारण फर्म का विघटन
(iv) करार के आधार पर फर्म का विघटन
धारा 52 अधिकार, जहां कि भागीदारी की संविदा कपट या दुर्व्यपदेशन के कारण विखंडित कर दी गई है
धारा 53 फर्म नाम या फर्म की सम्पत्ति को उपयोग मे लाने से अवरुद्ध करने का अधिकार
धारा 54 व्यापार अवरोधी करार
धारा 55 विघटन के पश्चात गुडविल का विक्रय। गुडविल के क्रेता और विक्रेता के अधिकार। व्यापार अवरोधी करार

Scanned with CamScanner

* फर्म का रजिस्ट्रेशन (Regestration of Firm) धारा 56 से 71 तक।

* धारा 56 रजिस्ट्रीकरण की अनिवार्यता से किसी राज्य अथवा उसके किसी भाग को छूट प्रदान करने की राज्य सरकार की शक्तियों का उल्लेख करती है। राज्य सरकार अधिसूचना जारी कर ऐसी छूट का निर्देश दे सकती है।
मोटे तौर पर जहाँ यह अधि० लागू है। वहाँ फर्मों का रजिस्ट्रीकरण अनिवार्य सा है क्योंकि इससे ही फर्मों को वाद संस्थित करने आदि का अधिकार मिलता है।
* धारा 57 रजिस्ट्रारों की नियुक्ति के सम्बन्ध में उपबन्ध करती है।
रजिस्ट्रार की नियुक्ति का अधिकार राज्य सरकार को दिया गया है। राज्य सरकार (1) एक या एक से अधिक रजिस्ट्रार नियुक्त कर सकती है।
तथा उनकी अधिकारिता सुनिश्चित कर सकती है।
फर्मों के रजिस्ट्रार को भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 21 के अर्थों में "लोक सेवक" माना गया है।

फर्म का रजिस्ट्रेशन फर्मों के रजिस्ट्रार के यहाँ निर्धारित शुल्क के साथ प्रार्थना पत्र देकर करवाया जा सकता है। प्रार्थना पत्र में निम्नलिखित विवरण दिए जाते हैं—
(1) फर्म का नाम (2) फर्म के कारबार का मुख्य स्थान,
(3) उन सभी स्थानों का नाम जहाँ फर्म कारबार करती है (4) प्रत्येक भागीदार के फर्म में शामिल होने की तिथि;

(5) भागीदारों के पूरे नाम और स्थायी पते; और
(6) फर्म की अवधि।

जब रजिस्ट्रार को यह समाधान हो जाता है कि सभी औपचारिकताएं पूरी कर दी गई है तो वह फर्म का नाम फर्मों के रजिस्टर पर दर्ज करके रजिस्ट्रेशन कर लेता है।

भागीदार अपनी फर्म कुछ भी नाम रखने के लिए स्वतंत्र होते है लेकिन कुछ नामो के प्रयोग पर यह धारा 58 प्रतिबन्ध लगाती है जैसे - क्राउन, एम्परर, किंग, क्वीन, रायल इत्यादि।

धारा 59 रजिस्ट्रीकरण जब रजिस्ट्रार को यह समाधान हो जाता है धारा 58 की शर्तें पुरी कर दी गई है तो वह फर्मो का रजिस्टर नामक रजिस्टर मे उस कथन की प्रविष्टि अभिलिखित करेगा और उस कथन को फाइल कर देगा।

धारा 60 के अनुसार फर्म नाम में और कारबार के मुख्य स्थान में हुये परिवर्तनो की सूचना रजिस्ट्रार को दिया जाना आवश्यक है।

धारा 61 में ऐसे स्थान पर जो कारबार का मुख्य स्थान न हो, कारबार बन्द करने अथवा चालू करने की सूचना दिया जाना अपेक्षित माना गया है।

धारा 62 में यह उपबन्ध है कि जब कभी भी फर्म के भागीदारों के नाम या मतों मे कोई परिवर्तन हो तो ऐसे परिवर्तन की सूचना रजिस्ट्रार को दे दी जाये।

धारा 63 दो प्रकार की सूचनाये रजिस्ट्रार को दिये जाने के बारे में प्रावधान करती है -

Scanned with CamScanner

(क) फर्म में किसी भी प्रकार की तब्दीली की सूचना एवं
(ख) अप्राप्तवय भागीदार मिलने पर रजिस्ट्रार द्वारा उन्हे रजिस्ट्रीकरण के रजिस्टर मे अंकित किया जायेगा।

धारा 64 दो प्रकार की भूलो के परिशोधन के बारे मे प्रावधान करती है-
(क) फर्मो के रजिस्टर मे दस्तावेज से भिन्न प्रविष्टि कर दिये जाने पर उसे दस्तावेज के के अनुरूप बनाने के लिये, तथा
(ख) रजिस्ट्रीकरण से सम्बन्धित कथनो अथवा सूचनाओं में की गई भूल को सुधारने के लिये।

धारा 65. रजिस्ट्रीकृत फर्म से सम्बन्धित किसी मामले का विनिश्चय करने वाले न्यायालय को यह शक्ति प्रदान करती है कि वह रजिस्ट्रार को फर्मो के रजिस्टर में की किसी प्रविष्टि मे संशोधन करने का निदेश दे सकता है। रजिस्ट्रार ऐसे निदेश का पालन करने के लिये आबद्ध है।

धारा 66 के अनुसार कोई भी व्यक्ति विहित शुल्क का संदाय करके निम्नलिखित का निरीक्षण कर सकता है -
(क) फर्मो का रजिस्टर (ख) फाइल किये गये कथन (ग) सूचनायें, एवं (घ) प्रज्ञापनायें।

धारा 67 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति विहित शुल्क का संदाय करके फर्म के रजिस्टर की किसी प्रविष्टि की रजिस्ट्रार की हस्ताक्षरयुक्त प्रमाणित प्रति प्राप्त कर सकता है।

Scanned with CamScanner

Page No ______
Date ______

धारा 68. साक्ष्य के दो महत्वपूर्ण नियम प्रतिपादित करती है—
(i) रजिस्ट्रीकरण के सम्बन्ध में जो कथन/सूचनायें या प्रज्ञापनायें फर्मों के रजिस्टर में अभिलिखित हैं वे उन व्यक्तियों के विरुद्ध निश्चायक सबूत होगी, जिन्होंने वे दी हैं।
(ii) फर्मों के रजिस्टर की प्रविष्टि की प्रमाणित प्रतियाँ सबूत के रूप में पेश की जा सकेंगी।

धारा 69 रजिस्ट्रीकृत फर्म के लाभों एवं अरजिस्ट्रीकृत फर्म के नुकसानों पर प्रकाश डालती है
फर्म की ओर से संस्थित वादों के पोषणीय होने के बारे में दो शर्तें हैं— अर्थात (1) फर्म रजिस्ट्रीकृत हो, (2) वाद संस्थित करने वाले व्यक्तियों के नाम फर्मों के रजिस्टर में भागीदार के रूप में दर्ज हो।
धारा 69 (1) के अनुसार अपंजीकृत फर्म का भागीदार निम्न अधिकारों को प्रवर्तित कराने हेतु वाद संस्थित नहीं कर सकेगा—
(i) भागीदारी अधिनियम द्वारा प्रदत्त अधिकार तथा
(ii) संविदा से उत्पन्न अधिकार। उपरोक्त अधिकारों के प्रवर्तन हेतु न तो पूर्व भागीदार न तो वर्तमान भागीदार तथा न ही फर्म के विरुद्ध ही वाद लाया जा सकता है।
धारा 69 (2) के अनुसार अपंजीकृत फर्म संविदीय अधिकारों के प्रवर्तन हेतु तृतीय व्यक्ति के विरुद्ध वाद संस्थित नहीं कर सकती।
धारा 69 (3) के अनुसार मुजराई का दावा तथा संविदा से उद्भूत अन्य कार्यवाही भी नहीं किया जा सकेगा।

Scanned with CamScanner

अपवाद धारा 69 के कतिपय अपवाद भी है। अर्थात कुछ मामलों में वाद लाने के लिये फर्म का रजिस्ट्रीकरण आवश्यक नहीं माना गया है। अर्थात निम्न मामलो में धारा 69 लागू नहीं होगी-
(i) फर्म के विघटन के लिये,
(ii) विघटित फर्म का लेखा लेने के लिये,
(iii) विघटित फर्म की सम्पति प्राप्त करने के लिये,
(iv) किसी दिवालिया भागीदार की सम्पति को प्राप्त करने के लिये
(v) जहाँ वाद 100 रुपये से कम राशि का हो,
(vi) जहाँ यह अधिनियम लागू न होता हो।
उपरोक्त सभी परिस्थितियो में अरजिस्ट्रीकृत फर्म के विरुद्ध भी वाद लाया जा सकता है।

धारा 70 मिथ्या विशिष्टि देने पर तीन माह तक की अवधि के कारावास से या जुर्माने से या दोनो से दण्डित किया जा सकेगा।

धारा 71 राज्य सरकार को उप धारा (2) मे वर्णित विषयों पर नियम बनाने तथा भागीदारी फर्म द्वारा संदेय फीस निर्धारित करने की शक्तियाँ प्रदान करती है।

धारा 71 के अधीन बनाये गये नियमो के बारे मे दो बाते आवश्यक है-
(i) ऐसे नियमो का पूर्व प्रकाशन किये जाये, तथा (ii) बनाये गये नियम यथाशीघ्र राज्य विधानमण्डल के समक्ष रखे जायेंगे।

Scanned with CamScanner